प्रेस नोट **13/09/2024**

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत हत्या मामले में दोषसिद्ध 01 अभियुक्त 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹25,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय ASJ-1 जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 13-09-2024 को मु0अ0सं0 341/2021 धारा 304 भादवि थाना सरायलखन्सी में दोषसिद्ध अभियुक्त राजेश पुत्र स्व0 रामदेव निवासी निजामुद्दीनपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं ₹25,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अजय सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी विनोद चौरसिया थाना सरायलखन्सी का सराहनीय योगदान रहा।